

**फार्म 3**  
**FORM 3**  
(नियम 54 (12) देखें)  
**[See Rule 54 (12)]**  
**परिवार का विवरण (Details of Family)**

सरकारी कर्मचारी का नाम: .....

Name of the Government Servant

पदनाम: .....

Designation

जन्म तिथि: .....

Date of Birth

नियुक्ति की तारीख: .....

Date of appointment

दिनांक ..... / ..... / 201....को मेरे परिवार\* का विवरण निम्नानुसार है:-

Details of the members of my family\* as on:- ..... / ..... / 201....

क्रम सं. (Serial No.)	परिवार* के सदस्यों के नाम (Name of the members of family*)	जन्म तिथि (Date of Birth)	अधिकारी के साथ संबंध (Relationship with the officer)	कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर (Initials of the Head of Office)	अभ्युक्ति (Remarks)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यालयाध्यक्ष को किसी भी प्रकार के संवर्धन अथवा संशोधन की सूचना देते हुए मैं, उक्त जानकारी को अद्यतन रखूंगा/रखूंगी।

(I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Head of the Office any addition or alteration.)

स्थान (Place).....

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

दिनांक (Dated).....

Signature of the Govt. Servant

\* इस प्रयोजन के लिए परिवार से आशय है जैसे कि परिवार की परिभाषा सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के उप-नियम(14) के खंड (ख) में दी गई है।

(\* Family for this purpose means family as defined in Clause (b) of sub rule (14) of Rule 54 of the CCS Pension Rules, 1972.)

टिप्पण:- पत्नी तथा पति में क्रमशः न्यायिक रूप से पृथक हुए पत्नी तथा पति शामिल हैं।

(NOTE--- Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husband.)